

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2021/240

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्राप्तनगनों के संग
अभियान-2021 ✓

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रुह के
जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 674
में मेरा नाम प्रेम पुत्री भागीरथ है। जबकि मुताबिक संलग्न
प्रेमदेवी पुत्री भागीरथ है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:- 07-12-2021

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम रुह के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के
खाता संख्या 674 में प्रार्थी का नाम प्रेम पुत्री भागीरथ दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
प्रेमदेवी पुत्री भागीरथ व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम प्रेमदेवी पुत्री भागीरथ है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है। -

भू.अ.नि. पटवारीपटवारी पटवारीरिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी पटवारी एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम रुह की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 674 में प्रार्थी का
नाम प्रेम पुत्री भागीरथ के बजाय प्रेमदेवी पुत्री भागीरथ किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम रुह जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता

संख्या 674 में दर्ज प्रार्थी का नाम प्रेम पुत्री भागीरथ के स्थान पर प्रेमदेवी पुत्री भागीरथ
आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा (भीलवाड़ा)
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)